 E-Mail : dfo.fatehabad@yahoo.co.in

वन विभाग, कार्यालय

वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद

पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी0डब्ल्यु0डी0 रेस्ट हाउस, फतेहाबाद–125050, फोन–01667–220313 (का0/फैक्स)

Undertaking

Diversion of 0.022 Ha. of Forest Land for Proposed CNG Retail Outlet on land bearing Khasra No. 99/5 along Hisar-Fatehabad Road (Old NH-10), at Ch. In KM Stone 1.570 (RHS) Village Dhangar, under Forest Division and District Fatehabad(Haryana)

Online Proposal No. FP/HR/Approach/148312/2021.

यह सुनिश्चत किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदला जाएगा।

वन मण्डल अधिकारी, (क्षे0),
फतेहाबाद।

E-Mail : dfo.fatehabad@yahoo.co.in

वन विभाग, कार्यालय

वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद

पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी०डब्ल्यू०डी० रेस्ट हाउस, फतेहाबाद–125050, फोन–01667–220313 (का० / फैक्स)

Undertaking

Diversion of 0.022 Ha. of Forest Land for Proposed CNG Retail Outlet on land bearing Khasra No. 99/5 along Hisar-Fatehabad Road (Old NH-10), at Ch. In KM Stone 1.570 (RHS) Village Dhangar, under Forest Division and District Fatehabad(Haryana)

Online Proposal No. FP/HR/Approach/148312/2021.

यह प्रमाणित किया जाता है कि विषयाकिंत प्रस्ताव में जारी स्टेज–1 की स्वीकृति अनुसार निम्न हिदायतों की पालना करनी सुनिश्चित की जाएगी।

वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्त एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज–II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना हैः–

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों / पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचांया जाएगा।

iii. सी.ए. योजना के अनुसार, 100 पौधे लगाकर, 0.1 हेक्टेयर degraded वन भूमि कम्पार्टमेंट न.**M.P. Rohi Distry. RD 18 to 20, L-Side, Range Fatehabad** जिला–फतेहाबाद पर सी.ए. किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।

iv. यह सुनिश्चत किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदला जाएगा।

v. भौतिक लक्ष्य एवं बजट नोडल अधिकारी द्वारा अलाट करने उपरांत पौधारोपण करवाने सम्बन्धी कार्यवाही अमल में ला दी जाएगी ।

vi. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।

vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

viii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NVP की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NVP की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगी।

ix. इस प्रस्ताव को 15 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके उपरान्त यह अनुमति भारत सरकार से करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि

 E-Mail : dfo.fatehabad@yahoo.co.in

वन विभाग, कार्यालय
वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद

पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी0डब्ल्यू0डी0 रेस्ट हाउस, फतेहाबाद–125050, फोन–01667–220313 (का0/फैक्स)

प्रयोक्ता ऐजेनसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के सह समाप्त होगी।

x. सी.एन.जी. स्टेशन की परिधि पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोडकर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेडों का वृक्षारोपण करवाने हेतू प्रयोक्ता एजेन्सी बाध्य होगी।

xi. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पहुंच मार्ग (Entry/ Exit or Deceleration/ Acceleration) विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जाएगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नही किया जावेगा ।

xii. प्रयोक्ता एजेन्सी साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाने व साथ लगते वन और वन भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न करने हेतू बाध्य होगी ।

xiii. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करने हेतू बाध्य होगी ।

xiv. प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्तावित स्थल के ले आउट प्लान को केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना नहीं बदलने हेतू बाध्य होगी ।

xv. प्रयोक्ता एजेन्सी क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीवों के सरंक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय–2 पर लगाई गई शर्तो की अनुपालना हेतू बाध्य होगी ।

xvi. यदि आवश्यक हुआ तो प्रयोक्ता एजेन्सी को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

xvii. किसी भी उक्त शर्तो की पालना न करने की स्थिति में वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 की उल्लंघना होगी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के Handbook of FCA, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

xviii. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियष्म/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि प्रस्ताव पर लागू होगें तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जावेगी ।

वन मण्डल अधिकारी, (क्षे0),
फतेहाबाद।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-11-2023

Agency Name.	NEXGEN ENERGI LIMITED, NOIDA
Application No.	70148312842
MoEF/SG File No.	9-HRB169-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	Regd. office b-2, 505, BOOMERAGE eQUITY, bUSINESS PARK, gATE NO. 4 cHANDIVALI Farm Road, andheri, Mumbai City, MH 400072Gautam Buddha Nagar
Amount(in Rs)	204545/-

Amount in Words :Two Lakh Four Thousand Five Hundred and Forty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506970148312842 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-11-2023

Agency Name.	NEXGEN ENERGI LIMITED, NOIDA
Application No.	70148312842
MoEF/SG File No.	9-HRB169-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address:	Regd. office b-2, 505, BOOMERAGE eQUITY, bUSINESS PARK, gATE NO. 4 cHANDIVALI Farm Road, andheri, Mumbai City, MH 400072 Gautam Buddha Nagar
Amount(in Rs)	204545/-

Amount in Words :Two Lakh Four Thousand Five Hundred and Forty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506970148312842 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

BKIDH23324200552

20/11/23

COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECONGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006.

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE/PROJECT : Diversion of **0.0220 ha. of forest land for Proposed CBG Retail Outlet on bearing Khasra No. 99/5 along on Hisar-Fatehabad Road (Old NH-10) at Ch. In km. 1.570(RHS), Village Dhangar, under Forest Division and District Fatehabad, Haryana** for Fatehabad District/Forest Division falls within jurisdiction of **Dhanger** village(s) in **Fatehabad** District(s).

It is certified that the Forest Land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December, 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

District Collector
Fatehabad

Signature
District Collector,
Fatehabad. (with Seal)

Divisional Forest Officer
Fatehabad Forest Division
Fatehabad

ALTERNATE ENERGY

Subject: Application of access permission to the proposé to setup highway/ way amenities center on Khasra No. 99//5/2 CH. 1.57 (RHS) (NH-9 to Fatehabad road) in city road village Dhanger, Tehsil & District Fatehabad, State Haryana.

मैं वचन देता हुं कि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा।

1. वन भुमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। वृक्षों/पौधों की कटाई राज्य वन विभाग की कड़ी निगरानी में की जाएगी और वृक्षों/पौधो के पातन में हुए खर्च की राशि प्रयोक्ता एजेंसी, राज्य वन विभाग को जमा करवांएगें।
3. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिये नहीं दिया जायेगा।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, पाथ कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जावी तो उसे बढ़ी दुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. इस प्रस्ताव को 15वीं के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में की जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह समाप्ति होगी
6. CNG Station की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोड़ 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light crown पेड़ों का रोपण किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पंहुच (Entry/Exit Or deceleration / Acceleration) व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया किया जायेगा। था इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नही किया जायेगा।
8. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नही पहुंचाया जायेगा और साथ लगने वाले वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
9. स्थानांतरण के लिये प्रस्तावित वनभुमि को केंन्द्रीय सरकार की पुर्व अनुमति के विना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हंस्तातरित नही किया जायेगा।

NEXGEN ENERGIA LIMITED

Follow us on
NEXGEN ENERGIA LTD.
Boomerang Bldg, Unit B2-505, Chandivali Farm Rd, Andheri East, Mumbai
Corporate Office: F-433, Sector-63, Noida-201301 Gautam Buddha Nagar (U.P.)
7065225577
info@nexgenenergia.com
www.nexgenenergia.com

10. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नही जायेगा।

11. अन्य कोई भी शर्तों इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।

12. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।

13. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

14. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति ली जाएगी।

NEXGEN ENERGIA LIMITED NOIDA